# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक–620 / पी0ए0 / 2022 दिनांक– 14 / 10 / 2022

**सेवा में,**

प्रबंधक / प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

**विषयः–** **उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण के सम्बन्ध में।**

**महोदय / महोदया,**

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ से सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्वता के प्रस्तावों हेतु शासन द्वारा पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है। ऐसे महाविद्यालय जो नवीन पाठ्यक्रम / विषयों में सम्वद्धता प्राप्त करने के इच्छुक है, वे संलग्न शासनादेश के अनुसार अपना प्रस्ताव शासन द्वारा प्रदत्त URL. http://henoc.upsdc.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

नवीन अनापत्ति / सम्बद्धता हेतु रू0 100000 / –, कला संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रू0 20000 / –, स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु रू0 25000 / – विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रू0 25000 / – स्नातकोत्तर स्तर के कला, वाणिज्य, शिक्षा, विधि संकाय के प्रत्येक विषय हेतु रू0 30000 / – प्रयोगात्मक कार्य वाले कला, विज्ञान एवं कृषि संकाय के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय के लिए रू0 50000 / – जमा करना अनिवार्य हैं। शुल्क RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराया जायेगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| | |
|---|---|
| Account Name | Maharaja Suhel Dev State University Azamgarh |
| Account Number | 50100519377933 |
| IFSC Code | HDFC0007164 |
| Bank | HDFC BANK |
| Branch Address | District- Azamgarh |

**भवदीय**

**(वी0पी0 कौशल)**
**कुलसचिव**

**प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वित अधिकारी, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़
3. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्रों (आजमगढ़, मऊ) को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

**कुलसचिव**

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त निर्धारित समय–सारणी की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल में स्वतः विलोपित कर दिया जायेगा तथा संबंधित संस्था को नियमानुसार नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

**पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त लम्बित अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों का निर्णय शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये मान्य होगा।**

3– **शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु प्राप्त होने वाले नये आवेदन पत्र के संबंध में समय–सारणी**

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु नये आवेदन प्रस्तुत करने और उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उनके ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की जाती है :–

| क्र0 | कार्यवाही | समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि। | **दिनांक 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक।** |
| 2 | विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना | **दिनांक 15 सितंबर से 31 जनवरी, 2023 तक।**<br>(1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।<br>(2) तद्नोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम् एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा। |
| 3 | अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना | **दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक।** |
| 4 | निरीक्षण मण्डल का गठन | **दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक।**<br>(1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।<br>(2) तद्नोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा। |
| 5 | निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्यां का प्रस्तुत किया जाना। | **दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक।** |
| 6 | सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना। | **दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक।** |
| 7 | विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक।** |
| 8 | शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 15 मई, 2023 तक।** |



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| 9 | शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 15 जून, 2023 तक।** |

अनापत्ति एवं सम्बद्धता के अनिरतारित आवेदन पत्र दिनांक 16 जून को पोर्टल से स्वतः विलोपित कर दिये जायेगें तथा संस्था को अगले शैक्षिक सत्र हेतु नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

**4— सामान्य निर्देश**

**(i) अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने के संबंध में निर्देश**

- वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्र (उक्त प्रस्तर में उल्लिखित) तथा 01 सितंबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र 2023—24 हेतु विचारणीय होगें।
- जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते है, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। अनापत्ति निर्गत होने के पूर्व इसे सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।

**(ii) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश :—**

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

**(iii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक :—**

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य—सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाएंगे, जिसपर पैनल सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।
- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।

**(iv) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड :—**



Scanned with OKEN Scanner

- प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।
- निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
- समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- सदस्य–सचिव का यह दायित्व होगा कि निरीक्षण मण्डल की आख्या को उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के अंतर्गत अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के अंतर्गत समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराना सुनिशिचित करें।

कृपया उक्त समय–सारणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**

भवदीया,

13/7

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–656(1)/सत्तर–2–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Draft-2020 (DS)

Scanned with OKEN Scanner